न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 51 / 2023 (उदयपुर डिक्री)

श्री लोगरलाल पुत्र श्री कुकाजी, जाति डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मधु धाकड़ पत्नी श्री शंभुलालजी धाकड़, निवासी 653 शिवनगर पायडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रमेश डांगी पुत्र स्व. श्री डालु जी, जाति डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मु. अमरी पुत्री नन्दाजी, जाति डांगी, निवासी 653 शिवनगर पायडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मु. मोहनी पुत्री नन्दाजी, जाति डांगी, निवासी 653 शिवनगर पायडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मु. कंकुड़ी पुत्री नन्दाजी, जाति डांगी, निवासी 653 शिवनगर पायडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. मु. जेती पुत्री नन्दाजी, जाति डांगी, निवासी 653 शिवनगर पायडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. मु. राधी पुत्री नन्दाजी, जाति डांगी, निवासी 653 शिवनगर पायडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री नारायण पिता स्व. श्री डालुजी, जाति डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. मु. लच्छु उर्फ लक्ष्मी डांगी पुत्री स्व. श्री डालुजी, जाति डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. मु. सीमा पुत्री स्व. श्री डालुजी, जाति डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. मु. सोवनी पुत्री स्व. श्री डालुजी, जाति डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. मु. वरदीबाई पत्नी श्री मांगीलालजी, जाति डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
16–08–2022 प्रकरण संख्या 104/2016

उपस्थित :– 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती कान्ता नागदा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

———::———

निर्णय दिनांक 18–06–2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कानपुर तहसील गिर्वा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 130 में आराजी नंबर 1528, 1529, 1539, 1550 कुल किता 4 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 7 से 10 तक का सम्मिलित रूप से 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/2 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/4 वां हिस्सा खाते दर्ज होकर वादी एवं प्रतिवादी 1 व 7 से 12 का सम्पूर्ण भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा होकर वादी अपने हिस्से अुनसार कृषि कार्य कर रहा है। इसी प्रकार खाता संख्या 78 में आराजी नंबर 1551, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1984 कुल किता 7 रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 7 से 10 का संयुक्त रूप से 6/168 वां हिस्सा तथा वादी का 234/3750 वां हिस्सा अविभाजित अलग से दर्ज हैं, प्रतिवादी संख्या 1 का 8/28 वां हिस्सा व 2 से 6 का संयुक्त रूप से 5/28 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/8 वां हिस्सा संयुक्त रूप से खाते दर्ज होकर वादी अपने हिस्से अनुसार कृषि कार्य कर रहा है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की अविभाजित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई बंटवाड़ा आज तक नही हुआ है। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 29–07–2016 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण को पांती बंटवाडा करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इनकार कर दिया। अतः वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके पर कब्जेनुसार सीमांकन कर बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में निर्माण कार्य नहीं करें, व किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2022 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर अन्तिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–07–2023 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती कान्ता नागदा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा मौके पर भारी निर्माण सामग्री इक्कठी कर एवं कब्जे वाली भूमि पर समतलीकरण कर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य शूरू करने पर अपीलार्थी को पटवारी हल्का से उक्त विभाजन के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06–07–2023 को होने पर अविलम्ब नकल प्राप्त कर नियत समय में अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी गई है। जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुये अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलान्ट को उक्त डिक्री की जानकारी शुरू से ही थी फिर भी अपील करीब 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की तथा देरी का जो कारण बताया है

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested

वह उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं होने अपील इसी स्तर पर खारिज की जाये।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव हेतु अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की मिलिभगत से एकतरफा प्रस्ताव बनाकर अपीलान्ट को रोड़ के पीछे के तरफ की भूमि दी गई तथा मुख्य सड़क की भूमि रेस्पोडेंट ने अपने पास रख ली। ऐसी स्थिति मे उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावें।

8. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट को सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु वह मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द बंटवारे के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की गई है जो विधि सम्मत होने से यथावत रखते हुये अपील खारिज की जावे।

9. हमने उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना दी जाना प्रकट नहीं होता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सूचना पत्र सभी प्रतिवादियों को दिया गया, परन्तु सम्मन सूचना पत्रों की प्रतियों मे अपीलान्ट का पत्रक नहीं है। अतः यह साबित नहीं होता है कि अपीलान्ट को सूचित किया गया हो। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11–08–2021 को आपत्ति दर्ज करायी गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया है, ना हि इसका उल्लेख हि अपने निर्णय मे किया है। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को भूमि एक पट्टी के रूप में दि गई है। यह विचित्र है कि तहसीलदार को मौका कमिश्नर बनाया गया। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 12 को दी गई भूमि के खसरे का आकार आयताकार लम्बी पट्टी के रूप मे है, जबकि शेष दो श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested

वरदीबाई व रमेश को वर्ग/आयताकार के हिस्से दिये जाना संलग्न नक्शे के अवलोकन से प्रतीत होता है। पट्टी के रूप में दी गई भूमि का उपयोग काश्तकार किस प्रकार करेगा यह ना तो तहसीलदार ने सोचा ना हि उपखण्ड अधिकारी ने, जबकि धारा 53 के तहत जो विभाजन किया जाता हैं उसमें राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जानी आवश्यक है, जो इस प्रकरण में किया जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व अन्तिम डिक्री अपास्त योग्य हैं।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 104/2016 में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 16–08–2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपर्युक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये तहसीलदार पक्षकारो को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करें। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्ताव पर यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसका निराकरण करते हुये साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से अन्तिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–08–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 18–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested